

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग


मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16/11/2017

क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017" तथा संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017" जारी की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(धनंजय सिंह)
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
भोपाल, दिनांक 16/11/2017

पृ.क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर,
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
(समस्त विभाग)।
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।



6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।
8. संभागायुक्त.....(समस्त)
9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति,2017" तथा "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना,2017 " की हिन्दी की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. कलेक्टर.....(समस्त)।


उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017

1. प्रस्तावना :-

राज्य शासन द्वारा म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2017 दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू करता है।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र:-

2.1 यह योजना दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

2.2 31 मार्च, 2018 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी अर्थात् इस योजना के लागू होने के पश्चात नवीन विनिर्माण इकाईयों के लिये म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 की सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा।

2.3 1 अप्रैल, 2018 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई, उद्योग संवर्धन नीति 2014 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी।

2.4 1 अप्रैल, 2018 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई द्वारा म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 की प्रभावशील अवधि में यदि गुणवत्ता के प्रमाणन हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है एवं/या पेटेंट प्राप्त किया जाता है, तो उसे इस योजना अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति एवं/या पेटेंट के लिये प्रतिपूर्ति की सहायता प्राप्त होगी।

2.5 "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, पॉवरलूम का उन्नयन करने पर पॉवरलूम इकाई को सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार उक्त अवधि में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना करने वाली संस्था/एजेन्सी/निवेशक को सहायता प्रदान की जाएगी।

2.6 पूर्व/प्रचलित नीति(यों) अंतर्गत विनिर्माण एमएसएमई को एमएसएमई विभाग द्वारा सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायें :-

3.1 "विभाग" से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग।

3.2 "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" (एमएसएमई) से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किए गए संशोधन सहित) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

3.3 इकाई से अभिप्रेत है, एमएसएमई श्रेणी की विनिर्माण इकाई।

3.4 स्थायी पूंजी निवेश से अभिप्रेत है, भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अस्तिओं में किया गया कुल निवेश।

3.5 संयंत्र और मशीनरी में किये गये निवेश से अभिप्रेत है, मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)। यह निवेश इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व का मान्य होगा।

3.6 (अ) "नई औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में स्थापित हो एवं जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को अथवा उसके पश्चात् परंतु इस योजना के शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो।

(ब) "विद्यमान औद्योगिक इकाई" से आशय ऐसी इकाई से है, जिसमें दिनांक 01.04.2018 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस योजना के शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

- 3.7 वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक से अभिप्रेत, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय के दिनांक अर्थात् प्रथम विक्रय के देयक के दिनांक से है।
- 3.8 पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश, जो भी अधिक हो, से होगा।
- 3.9 पूर्व स्थापित क्षमता से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।
- 3.10 जीएसटी से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित 'राज्य कर' से है।
- 3.11 गुणवत्ता प्रमाणीकरण से अभिप्रेत, एमएसएमई की गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ, जीएमपी और सीजीएमपी प्रमाणपत्र से है।
- 3.12 वैण्डर से अभिप्रेत, ऐसी विनिर्माण एमएसएमई से है, जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में एक मध्यम/वृहद स्तर की इकाई के लिए अपने उत्पादों को बेचने का इरादा रखती है।
- 3.13 एंकर यूनिट से अभिप्रेत, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में एक मध्यम/वृहद स्तर की इकाई से है, जो राज्य के एमएसएमई से उत्पादों को खरीदने का इरादा रखती है।
- 3.14 अंशदायी भविष्य निधि से अभिप्रेत, अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के अनुसार परिभाषित अंशदायी भविष्य निधि से है।
- 3.15 पेटेंट से अभिप्रेत, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट से है।

- 3.16 "उद्योग विकास अनुदान" से अभिप्रेत, इकाई द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश पर दिए जाने वाले अनुदान से है।
- 3.17 "उद्योग आयुक्त" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय, म. प्र. के आयुक्त।
- 3.18 "महाप्रबंधक" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक।
- 3.19 "जिला स्तरीय सहायता समिति" से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है :-
- | | | |
|------|---|-----------|
| i. | कलेक्टर | अध्यक्ष |
| ii. | अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) | सदस्य |
| iii. | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | सदस्यसचिव |

टीप :- समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 2 सदस्यों से पूर्ण होगा।

4. स्पष्टीकरण :-

- 4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना की कण्डिका 11 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को तथा कण्डिका 12 में दी गई सहायता ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक को उपलब्ध होगी।
- 4.2 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। साथ ही विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के प्रकरणों में पूर्व से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी पृथक से विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु पंजीयन कराना होगा। किसी कंपनी/फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
- 4.3 किसी भी मामले में, इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी और रियायत प्राप्त इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष तक कार्यरत रहना आवश्यक होगा।

- 4.4 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई किसी एक नीति का चयन कर सकेगी और उसे केवल चयनित नीति अंतर्गत ही प्रोत्साहन/रियायतें लेने की पात्रता होगी।
- 4.5 कोई इकाई, जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो, वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 के तहत किसी भी प्रोत्साहन/सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी।
- 4.6 हालाँकि, यदि एक इकाई इस योजना के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो, वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाला अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हो।
- 4.7 सूक्ष्म व लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में अपने विद्यमान निवेश का न्यूनतम 50% अतिरिक्त निवेश, जो रु. 25 लाख से कम नहीं हो, विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 4.8 मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में अपने विद्यमान निवेश का न्यूनतम 30% अतिरिक्त निवेश विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।
- 4.9 इकाई का विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश रु. 15 करोड़ से अधिक होने पर वह वृहद श्रेणी के उद्योगों हेतु सहायता/सुविधाएं के लिये पात्र होगी।
- 4.10 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी।
- 4.11 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष में, परंतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात, संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।

- 4.12 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।
- 4.13 इकाई/एजेन्सी/संस्था/निवेशक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई/पॉवरलूम इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ/स्थापित होने की दिनांक से 5 वर्षों तक उत्पादनरत/कार्यरत/स्थापित रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू-राजस्व की बकाया की तरह इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर से 12 प्रतिशत दायित्व ब्याज सहित वसूल की जावेगी।
- 4.14 इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को जिस पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी, उसको वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से 5 वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा और इकाई की उत्पादन क्षमता बनाए रखनी होगी। इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर द्वारा उसके किसी भाग में परिवर्तन तथा किये गये पूंजी निवेश में कमी नहीं की जाएगी। सहायता प्राप्त इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर द्वारा उसके स्वामित्व में परिवर्तन, उसके वाणिज्यिक उत्पादन/प्रारंभ होने की दिनांक से 5 वर्षों तक, उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 के अन्तर्गत पूर्व स्थापित इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई/निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर पर लागू होंगे।
- 4.15 म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 के परिशिष्ट-अ में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे।(परिशिष्ट - 1)

5. जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

- 5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यम का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त उद्यम से

आवेदन प्राप्त होने से म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन की स्वीकृति तथा वितरण सुनिश्चित करे। उक्त योजना अंतर्गत सभी प्रोत्साहन सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली वार्षिक किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में गए, मिलेंगी।

- 5.2 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी।
- 5.3 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 90 दिन के भीतर इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार अनुलग्नक आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त **परिशिष्ट - 8** में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 5.4 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों, जहाँ लागू हो, का समावेश आवश्यक होगा :-
 - (i) इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया निवेश।
 - (ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का प्रमाण।
 - (iii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किया गया निवेश।
 - (iv) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।
 - (v) इकाई में पात्रतानुसार कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या और उनके सीपीएफ में नियोक्ता के अंश की जानकारी।
 - (vi) गुणवत्ता प्रमाणीकरण/पेटेंट प्राप्त करने में इकाई द्वारा किया गया व्यय।
 - (vii) पॉवरलूम इकाई द्वारा पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए किया गया व्यय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता एवं कुल परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या।
 - (viii) निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना के प्रकरण में अधोसंरचना व्यय व कार्यरत इकाईयों की जानकारी।

(ix) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।

- 5.5 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता(सहायताएं) एवं जहां लागू हो, प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा।
- 5.6 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.7 समिति द्वारा पूर्व की नीति(यों) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

6. उद्योग विकास अनुदान :-

- 6.1 पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी -

- (i) नगर निगम की अधिसूचित सीमा।
- (ii) नगर/शहर, जिनकी आबादी 4 लाख या अधिक हो (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)।

उक्त कण्डिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की गई शासकीय भूमि में स्थापित इकाइयों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

- 6.2 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को उद्योग विकास अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट - 2) में आवेदन तथा निर्धारित

प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 8) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति
- (ii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति
- (iii) संयंत्र और मशीनरी में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (iv) भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल से प्राप्त इकाई के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण
- (v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) की छायाप्रति
- (vi) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण संबंधी पत्र (यदि इकाई स्थापना हेतु ऋण लिया गया हो) की छायाप्रति
- (vii) भारत सरकार की किसी योजना में सहायता हेतु आवेदन दिया हो/ प्राप्त की गई हो, की जानकारी, जहां लागू हो

7. अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता:-

- 7.1 यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख, राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। यह सहायता म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 की प्रभावशील अवधि के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
- 7.2 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास दिनांक 31 मार्च, 2018 के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के पश्चात् का नहीं हो।

7.3 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-

- (i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सड़क निर्माण में हुआ व्यय।
- (ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।
- (iii) जल स्रोत/मुख्य पाइप लाइन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाइप लाइन बिछाने में हुआ व्यय ।

उक्त कार्यों पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।

7.4 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -8) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति
- (iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति

8. अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति

8.1 ऐसी समस्त पात्र नई औद्योगिक इकाइयों, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रुपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहें हों, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के नियोक्ता के अंश की शत प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिये या अधिकतम रु. 5 लाख (इनमें से जो भी कम हो) की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति छःमाही आधार पर की जाएगी। अतः जिस छःमाही हेतु प्रतिपूर्ति चाहिए, उसके समाप्त होने के 90 दिवस के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।

8.2 इस सहायता हेतु इकाई को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -8) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) आवेदित छःमाही में नियोक्ता द्वारा इकाई में कार्यरत 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रुपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा की गई राशि (प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रुपये) की पुष्टि हेतु दस्तावेज।
- (ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iii) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

9. गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति

9.1 इकाई द्वारा "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रू. 3 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

9.2 उक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रू. 3 लाख तक ही होगी।

9.3 इस सहायता हेतु इकाई को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 4) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -8) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) आईएसओ/जीएमपी/सीजीएमपी प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो आईएसओ/जीएमपी/सीजीएमपी प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो।
- (iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।

- (v) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

10. पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

- 10.1 इकाई को "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/उत्पादन प्रक्रियाओं का पेटेंट/आईपीआर कराने पर हुए व्यय का शतप्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 5 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी।
- 10.2 इस वित्तीय सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकेगी, किन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा, प्रत्येक इकाई के लिए रु. 5 लाख तक ही होगी।
- 10.3 विकसित किये गये उत्पाद/प्रक्रिया, जिसका पेटेंट कराया गया है, का वाणिज्यिक उत्पादन/प्रक्रिया का उपयोग इकाई द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- 10.4 योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति पेटेंट पंजीयन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार(आईपीआर) प्राप्ति हेतु किये गये वास्तविक व्यय पर की जावेगी, जिसमें निम्न व्यय मान्य किये जाएंगे -
- पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ जमा की गई निर्धारित शुल्क की राशि।
 - पेटेंट कराए गए उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित संयंत्र एवं साज सज्जा पर व्यय राशि।
 - पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिए भुगतान किये गये व्यय की राशि।
- 10.5 इस सहायता हेतु इकाई को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 4) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -8) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नदस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-
- पेटेंट/आईपीआर पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

- (ii) उन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति जो पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हों।
- (iii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iv) जीएसटी अंतर्गत पंजीयन की छायाप्रति।
- (v) भारत सरकार से समान स्वरूप की योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता/किये गये आवेदन (यदि कोई हों तो) की जानकारी।

11. पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

11.1 "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के पश्चात, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

11.2 इस सहायता हेतु पॉवरलूम इकाई को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-5) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -8) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

- (i) भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) जमा करने पर प्राप्त अभिस्वीकृति की छायाप्रति।
- (iii) भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि हो तो)।
- (iv) विद्युत देयक की प्रति।

12. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु सहायता

12.1 "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल

कम से कम 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट हो और विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में न्यूनतम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों।

12.2 संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास की अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-6) में आवेदन सहपत्रों सहित उद्योग संचालनालय, म. प्र. में प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित शर्तों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु अनुमति जारी की जाएगी:-

12.2.1 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास अनुमति दिनांक से तीन वर्ष के भीतर होना चाहिए। निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा संबंधित संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को 60 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा। समाधानकारक उत्तर प्राप्त होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु छःमाह का अतिरिक्त समय उद्योग आयुक्त, म.प्र. द्वारा प्रदान किया जाएगा। उक्त अतिरिक्त समय में भी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास न होने की दशा में या 60 दिवसीय सूचना पत्र का समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाएगी। उक्त निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील तीन माह के अंदर प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी।

12.2.2 प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, एमएसएमई विभाग अपील पर विचार कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम छःमाह का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेंगे, परंतु औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु प्रदत्त कुल समय संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर स्थापना/विकास हेतु जारी अनुमति की दिनांक से चार वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।

12.2.3 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत अवधि या औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर

के पूर्ण होने का दिनांक जो भी पहले हो, तक स्थापना/विकास में व्यय की गई राशि सहायता हेतु गणना में ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने से आशय अधोसंरचना पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 5 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने से है।

12.2.4 औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के पूर्ण होने के दिनांक के 90 दिवस के भीतर संस्था/एजेन्सी/निवेशक द्वारा सहायता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 7) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-8) निम्नलिखित सहपत्रों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा :-

- (i) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में स्थापित किन्हीं पांच औद्योगिक इकाइयों के नाम मय स्थापना को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित।
- (ii) विकसित औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के क्षेत्रफल को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज।
- (iii) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने में हुए व्यय (कण्डिका 12.2.3 में दी गई अवधि में) के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।
- (iv) औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित करने हेतु प्राप्त आवश्यक अनुमतिओं की प्रमाणित प्रतियां

13. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

13.1 नई औद्योगिक इकाई को "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा।

13.2 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुआ व्यय दिनांक 1 अप्रैल, 2018 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।

- 13.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के 90 दिवस के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -8) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-
- (i) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन। (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।
 - (ii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।
 - (iii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उपयोग को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की छायाप्रति।
14. प्राप्त आवेदनों में जिला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव (महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) द्वारा सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा और उपलब्ध आवंटन अनुसार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इकाई को पात्रतानुसार देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
15. लघु स्तर की बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश (एमएसएमई विभाग) की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (Empowered Committee) द्वारा स्वीकृत पैकेज अनुसार सहायता की स्वीकृति एवं वितरण इस योजना की प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।
16. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया –
- 16.1 इकाई/एजेन्सी/संस्था/निवेशक को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।
 - 16.2 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को ई-पेमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा।
 - 16.3 इकाई के प्रकरण में ई-पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।

16.4 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को प्रमुख सचिव गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेंगे।

18. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इस योजना एवं म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

19.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

19.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

20. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव

म.प्र. शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

अपात्र इकाईयों की सूची

01. व्यवसाय और सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ
02. बीयर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)
03. स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग
04. सभी प्रकारों के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण
05. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
06. समस्त पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण
07. केंद्रीय या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाईयाँ
08. स्टोन क्रशर
09. खनिजों की पिसाई, केलिसनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)
10. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता
11. सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)
12. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का विनिर्माण
13. सोयाबीन पर आधारित सभी प्रकार के उद्योग
14. सभी प्रकारके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयाँ, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रु. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)
15. समस्त प्रकार के उपयोग किये गये तेलों की रिफायनिंग तथा खाद्य तेल रिफायनरी
16. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ
17. सभी प्रकार की प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रियायें (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स मुद्रण को छोड़कर)
18. सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुएँ
19. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

20. लोहे/स्टील स्क्रैप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना
21. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ
22. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान,
इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना
के लिये सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान,
इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के
लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई
है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उद्योग विकास अनुदान, इकाई
परिसर तक अधोसंरचना विकास और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिये सहायता
उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :
02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03. अ/ इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें)
- ब/ यदि इकाई प्रोप्रायटरी (पूर्ण स्वामित्व) :
है तो, इकाई स्वामी का नाम

04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)
05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :
07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व
दिनांक :
08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक :
तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी
निवेश की राशि (लाख रूप में)

10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :
12. जीएसटी पोर्टल अनुसार इकाई का वार्षिक
टर्न ओवर (छायाप्रति संलग्न करें) :
13. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन
होने पर :

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूप में)			

रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता			
(i)(उत्पाद).....			
(ii)(उत्पाद).....			
(iii)(उत्पाद).....			
(iv)(उत्पाद).....			

14. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) उद्योग विकास अनुदान (नियम-6)

(i) प्रथम विक्रय के देयक का :
दिनांक (छायाप्रति संलग्न)

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी :
अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण
पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि
लागू हों)

(iii) संयंत्र एवं मशीनरी पर किये : (राशि लाख रूपये में)
गये व्यय की चार्टर्ड
इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय
राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
योग		

(iv) वित्तीय संस्था का ऋण :
स्वीकृति एवं वितरण संबंधी
पत्र।(यदि लागू हों)

(ब) अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता (नियम-7)

(i) विकसित की गई अधोसंरचना :
का संक्षिप्त विवरण

- (ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना : (राशि लाख रुपये में)
विकसित करने हेतु, दिनांक 31 सड़क निर्माण हेतु
मार्च, 2018 के पश्चात् एवं विद्युतीकरण हेतु
इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन जल अधोसंरचना हेतु.....
दिनांक तक, किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित राशि (प्रमाण पत्र संलग्न)

(स) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता (नियम-13)

- (i) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की : (राशि लाख रुपये में)
स्थापना करने हेतु, दिनांक 31 मार्च, 2018 के पश्चात् किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार राशि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- | क्र. | विवरण | राशि |
|------|-------|------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| योग | | |

- (ii) स्थापित की गई अपशिष्ट :
प्रबंधन प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि
(सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि
(सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई
है। मेरी/हमारी इकाई द्वारा न्यूनतम 10 नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में अधिकतम 1000
रूपये (प्रत्येक कर्मचारी हेतु) नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहे हैं। "मध्यप्रदेश
एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की
प्रतिपूर्ति (नियम 8) उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :
02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें)
04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :
07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :
08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :
10. इकाई की गतिविधि :
11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :
12. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन होने पर :

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i)(उत्पाद)..... (ii)(उत्पाद)..... (iii)(उत्पाद).....			

13. कुल सहायता अवधि 5 वर्ष में से वह अवधि (छःमाही) जिस हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है :

14. उक्त छःमाही में इकाई में कार्यरत नियमित कर्मचारियों, जिनके अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंश अधिकतम 1000 रु. है, के अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंश की वस्तुतः जमा की गई राशि (प्रमाण हेतु दस्तावेज संलग्न करें)
15. योजना की इस सहायता अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कुल स्वीकृत राशि

नियमित कर्मचारियों की संख्या	नियोक्ता के अंश की कुल राशि

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उक्त सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण
और पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण
और/या पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में विनिर्माण इकाई स्थापित की गई
है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण और/या
पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार
है:-

01. इकाई का नाम :
02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ
एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति
संलग्न करें)
04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)

05. जीएसटी अंतर्गत पंजीयन का क्रमांक व :
दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
06. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ :
डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन)
07. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व :
दिनांक
08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
09. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक :
तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी
निवेश की राशि (लाख रूपए में)
10. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

11. इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :
12. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन :
होने पर

विवरण	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व	विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत	योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात्)
संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश(लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i)(उत्पाद)..... (ii)(उत्पाद).....			

13. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिये प्रतिपूर्ति (नियम-9)

- (i) आईएसओ/जीएमपी/सीजीएमपी :
प्रमाणीकरण की अभिप्रमाणित प्रति
(छायाप्रति संलग्न)
- (ii) उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये :
किये गये व्यय (दस्तावेजों की
प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ब) पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति(नियम-10)

- (i) पेटेंट/आईपीआरका संक्षिप्त विवरण :
- (ii) पेटेंट/आईपीआर प्राप्त करने के लिये : निर्धारित शुल्क
किये गये व्यय (व्यय को प्रमाणित अनुसंधान एवं शोध पर व्यय
करने वाले दस्तावेज की प्रमाणित
प्रति संलग्न करे) सलाह/सेवा पर व्यय

14. योजना की इस सहायता अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त :
कुल स्वीकृत राशि एवं विवरण

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उक्त सहायता(ओं) को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

नोट- जिस सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता के लिये आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत पॉवरलूम उन्नयन के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में पॉवरलूम इकाई स्थापित की गई है, जिसमें भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है और "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उक्त उन्नयन हेतु सहायता (नियम 11) उपलब्ध कराने बाबत पॉवरलूम इकाई का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई का नाम :
02. इकाई का कार्यस्थल :
स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला
03. इकाई का प्रकार : प्रोप्रायटरी/संस्था/पार्टनरशिप/कंपनी
(पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल की छायाप्रति संलग्न करें)
04. एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत उद्योग :
आधार ज्ञापन फाइल करने पर प्राप्त
अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक
(छायाप्रति संलग्न करें)

05. भारत सरकार का अन्य कोई पंजीयन (यदि :
हो तो) का क्रमांक व दिनांक (छायाप्रति
संलग्न करें)

06. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व :
दिनांक (नवीनतम विद्युत देयक की छायाप्रति
संलग्न करें)

07. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

08. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक :
तक किये गए संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी
निवेश की राशि (लाख रूपए में)

09. इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	उत्पाद का नाम	वार्षिक क्षमता

10. इकाई में प्राप्तकुल रोजगार :

11. भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना :
के तहत पॉवरलूम को उन्नयन करने के लिए
प्राप्त वित्तीय सहायता

12. भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना :
के तहत परिवर्तित पॉवरलूमों की संख्या और
उन्नयन का प्रकार

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने
का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

**निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास
करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

विषय:- निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

मेरे/हमारे द्वारा जिला (मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति (नियम 12) बाबत विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

01. ऐजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :

02. सम्पर्क का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

03. पंजीकृत कार्यालय का पता :

दूरभाष
फैक्स
ई-मेल

04. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का स्थल :

स्थान/नगर
विकासखण्ड
तहसील
जिला

05. औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में) / :
 बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट
 क्षेत्र (वर्ग फीट में)
 (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को प्रमाणित
 करने वाले दस्तावेज की प्रति)
06. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
 के स्वामी/लीजधारक का नाम
 (दस्तावेज संलग्न करें)
07. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में :
 प्रस्तावित उद्योगों के नाम (न्यूनतम पांच)
08. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
 की स्थापना/विकास में किये जाने वाले
 प्रस्तावित निवेश का संक्षिप्त विवरण
 (नक्शा व प्लान ले-आउट संलग्न करें)
09. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर:
 की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की
 प्रस्तावित दिनांक
 (चरणबद्ध समयसीमा संलग्न करें)

कृपया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना/विकास करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

**"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता बाबत् आवेदन का प्रारूप**

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....., म.प्र.।

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने बाबत्।

मेरे/हमारे द्वारा जिला(मध्यप्रदेश) में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना की गई है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत की स्थापना हेतु सहायता (नियम 12) उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. एजेन्सी/संस्था/निवेशक का नाम :
(निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर के स्वामित्व का प्रमाण संलग्न करें)
02. सम्पर्क का पता :
दूरभाष
ई-मेल
03. पंजीकृत कार्यालय का पता :
दूरभाष
ई-मेल
04. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक :
परिसर का स्थल का पूर्ण पता
05. निजी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल (एकड़ में)/ :
बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र
(वर्ग फीट में) (क्षेत्रफल/कारपेट क्षेत्र को

प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित)

06. निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक :
परिसर में स्थापित उद्योगों के नाम -
न्यूनतम पांच (स्थापना को प्रमाणित करने
वाले दस्तावेज संलग्न)
07. चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा :
अधोसंरचना विकास में किया गया प्रमाणित
व्यय (प्रमाण पत्र संलग्न)
08. उद्योग आयुक्त, म. प्र. द्वारा निजी औद्योगिक
क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को
स्थापित/विकसित करने हेतु प्रदाय अनुमति
की दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)
09. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निजी औद्योगिक
क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर को
स्थापित/विकसित करने हेतु बढ़ाई गई समय
सीमा का विवरण, यदि कोई हो तो (आदेश
की प्रति संलग्न करें)
10. औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर :
की स्थापना/विकास के पूर्ण होने की दिनांक

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत उक्त सहायता को स्वीकृत करने
का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

(सील)

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र
(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक में दी गई जानकारी सत्य है ।
2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं हूँ/हैं ।
3. औद्योगिक परिसर तक विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

या

स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियाँ आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

4. मैं/हम यह वचन देता/देते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित योजना में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे/हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।
5. मैं/हम इकाई/उन्नयन किये गये पॉवरलूमों/औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर/अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालीको प्रारंभ/उन्नयन दिनांक से कम से कम 5 वर्षों तक उत्पादनरत/कार्यरत रखूँगा/रखेंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :-

(सील)